राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/15577 दिनांक :– 18/10/17

आयुक्त नगर निगम समस्त

आयुक्त नगर परिषद समस्त

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे अच्छी रेकिंग हेतु स्वच्छता ऐप को डाउनलोड किये जाने हेतु।

जैसा कि आपको विदित है, स्वच्छ सर्वेक्षण–2018, 4 जनवरी 2018 से प्रारंभ होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की पूर्व तैयारियों हेतु आपको पूर्व मे निर्देश दिये जाकर कार्यप्रणाली के बारे मे विस्तृत जानकरी दिनांक 18.09.2017 को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर दी जा चुकी है। साथ ही आपको सर्वेक्षण संबंधित गाइडलाईन/टूलकिट आपको भिजवाये जा चुके है।

स्वच्छ सर्वेक्षण मे Municipal documentation 35%, Direct observation 30%, Cityzen feedback 35% weightage निर्धारित किया गया है। पूर्व के सर्वेक्षणों से 2018 के सर्वेक्षण में सिटीजन फिडबैक का Weightage बढाया गया है। जिसमें कुल 4000 अंको मे से 1400 अंक निर्धारित किये गये है। स्वच्छता ऐप का उपयोग कर सिटीजन फिडबैक से अच्छे अंक हासिल किये जा सकते है।

शहरों मे जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 के बीच स्वच्छता ऐप का कुल डाउनलोड (उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या 5 लाख है तो 5 व्यक्तियों का परिवार मानते हुये 1 लाख घरो का 10 प्रतिशत यथा 10,000 घरों को कम से कम स्वच्छता ऐप डाउनलोड करनी होगी) कुल घरों का 10 प्रतिशत कम से कम डाउनलोड करना होगा।

स्वच्छता ऐप हेतु रेकिंग की योजना निम्न प्रकार से हैः–

रेकिंग की योजना	अंक
10 प्रतिशत से अधिक घरो द्वारा स्वच्छता ऐप डाउनलोड	160
6 प्रतिशत से अधिक एंव 10 प्रतिशत से कम	100
2.5 प्रतिशत से अधिक 6 प्रतिशत से कम	40
2.5 प्रतिशत से कम	0

स्वच्छता ऐप का डाउनलोड करवाकर निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत निम्न प्रकार की शिकायतों का निवारण किया जाने पर रेकिंग की योजना निम्न प्रकार से हैः–

रेकिंग की योजना	अंक
100 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा मे निवारण	160
80–90 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा मे निवारण	120
60–79 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा मे निवारण	80
40–59 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा मे निवारण	40
40 प्रतिशत से कम शिकायतों का समय सीमा मे निवारण	0

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx

आम नागरिकों की निम्न शिकायतों का निवारण तय समय सीमा में किया जाना है।

1. कचरे के डेर से संबंधित
2. कचरे की गाडी/ऑटो टीपर नही आने पर
3. कचरे का डिब्बा खाली नही होने पर
4. झाडू नही लगने पर
5. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के साफ नही होने पर
6. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का आउटमेट अवरूध होने पर
7. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों मे पानी नही होने पर
8. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों मे प्रकाश व्यवस्था नही होने पर

स्वच्छता ऐप से उक्त स्थानों की लोकेशन को केप्चर कर किसी लेडमार्क को दर्शाते हुये शिकायत आम नागरिक द्वारा संबंधित क्षेत्र के सफाई निरिक्षक/अभियंता को पहुच जावेगी।

सफाई निरीक्षक/अभियंता द्वारा तय समय सीमा मे उक्त शिकायत निवारण कर "Resolved" की इमेज अपलोड करनी होगी। अगर नागरिक उक्त निवारण से संतुष्ट नही हो तो उक्त शिकायत को Re-open कर सकता है। स्वच्छता ऐप पर post की गई शिकायत को edit भी किया जा सकता है।

निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी/इंजीनियर/सफाई निरीक्षक द्वारा स्वच्छता ऐप को Login करना होगा।

स्वच्छता ऐप का निम्न प्रकार से डाउनलोड किया जा सकता है:—

1. Swachhata Link-http://Swachh.city/
2. Admin-Sign Up and Log in http://youtu.be/912Y73n85Dw
3. Engineer App-How To use http://youtu.be/4H_VDA2Amv4
4. Hindi Video Link can be found on this link –http://Swachh.city/help

"स्वच्छता ऐप" संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु जनाग्रह के श्री शुमेन्दु सिंह मोबाइल नं. 9711582169 ई—मेल shubhendu.Singh@janaagraha.org से संपर्क किया जा सकता है।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि सबसे पहले आपको निकाय का रजिस्ट्रेशन (Login) "स्वच्छता ऐप" हेतु करवाते हुये आपके शहर को वार्ड मैप जनाग्रह को उपलब्ध करवावें जिसकों उनके द्वारा गूगल मेप किया जावेगा। साथ ही नागरिको के मोबाइल मे "स्वच्छता ऐप" डाउनलोड करवावें।

समाचार पत्रों मे आपके द्वारा प्रसारित विज्ञापनों/निविदा सूचना/प्रेस विज्ञप्ति के साथ "स्वच्छता ऐप" को डाउनलोड करने व इसका उपयोग करने संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किया जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :— एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 15769-15819 दिनांक :— 18/10/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।

5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

अति मुख्य अभियंता